

:-प्रेस नोट दिनांक 06.06.2021:-

थाना आंवला जनपद बरेली।

थाना आंवला #bareillypolice द्वारा शादी समारोह आयोजित कार्यक्रम में विमला पत्नी रामविलास के गोली लग जाने के सम्बन्ध में थाना आंवला जनपद बरेली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त नन्हें सिंह को मय नाजायज शस्त्र के किया गया गिरफ्तार।

यह कि थाना आंवला जनपद बरेली पर आज दिनांक 06/06/2021 को मुकदमा वादी श्री रामविलास पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम आजमपुर थाना आंवला जनपद बरेली द्वारा सूचना अंकित करायी गयी कि शादी समारोह में आयोजित कार्यक्रम में समय करीब 09.30 बजे अभियुक्त नन्हें सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम रोटा थाना किला जनपद बरेली द्वारा पुरानी रंजिश को मानते हुए वादी की पत्नी विमला देवी के गोली मार/लग गयी थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 224/2021 धारा 307 भा.द.वि0 पंजीकृत कर आज दिनांक 06.06.2021 को समय करीब 14.20 बजे अभियुक्त नन्हें सिंह को रपटा पुल पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त असलाह एक अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस व 10 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर थाना आंवला जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 225/2021 धारा 25/27 A Act पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नन्हें सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम रोटा थाना किला जनपद बरेली।

थाना आंवला पर पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

1-मु0अ0सं0 224/2021 धारा 307 भा.द.वि0 थाना आंवला जनपद बरेली।

2-मु0अ0सं0 225/2021 धारा 25/27 A Act।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर तमन्चा व 02 अदद खोखा कारतूस व 10 अदद जिंदा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना आंवला जनपद बरेली

2. हे0का0 924 टेकचन्द्र थाना आंवला जनपद बरेली

3. का0 515 इरशाद अली थाना आंवला जनपद बरेली

**प्रभारी निरीक्षक
थाना आंवला, बरेली।**